

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भागवती जेठवानी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 1/2016

दायरा दिनांक : 04.01.2016

उनवान

जगन्नाथ आत्मज गंगाराम, उम्र 45 साल, जाति तंवर, निवासी महुआखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.....रेस्पोडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांट – श्री गजोत्तमराम जैन
अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 16.02.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अति० जिला कलेक्टर झालावाड के निर्णय दिनांक 12.08.2013 प्रकरण संख्या 389/अपील/2013 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार अकलेरा के प्रकरण सं० 674/2013 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.05.2013 से अपीलांट को ग्राम घाटोली, तहसील अकलेरा की आराजी खसरा नम्बर 1095/1 रकबा 6 बिस्वा, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 12/- रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान अति० जिला कलेक्टर, झालावाड द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.08.2013 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती

अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । माननीय राजस्व मंडल ने ऐसे ही प्रकरण में आर. बी. जे. 2007 पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । अपीलांट जगन्नाथ आत्मज गंगाराम, उम्र 40 साल, जाति तंवर, निवासी महुवाखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड ने शपथ पत्र में अंकित किया है कि ग्राम घाटोली की आराजी खसरा नम्बर 1095/1 की आराजी पर से मैंने सम्पूर्ण रूप से अपना कब्जा हटा लिया है । वर्तमान में मैंने उक्त आराजी पर से कब्जा हटाकर खाली कर दी है एवं इस आराजी पर भविष्य में भी कभी कब्जा ना तो मैं स्वयं करूंगा ना ही मेरे परिवारजन करेंगे । मेरा कोई कब्जा आराजी पर नहीं है । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है । माननीय राजस्व मंडल द्वारा आर. बी. जे. 2007 पेज 644 पर प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण में कारावास के दण्ड को माफ किया गया है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । यदि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है । लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, उसके लिए कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

आदेश आज दिनांक 16.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवती जेठवानी)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा